उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-172/2019/2672/92-2-2019-28(जॉच)/2018,
लखनऊ :: दिनांक:: 25 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना एवं समग्र ग्राम विकास विभाग योजना अन्तर्गत स्वीकृत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्य को मार्च 2012 में समाप्त करने हेतु हुये शासनादेश के पश्चात भी पूर्ण अवशेष समस्त धनराशियां शासन को वापस न कराते हुये दुरभि संधि कर अनियमित प्राक्कलन स्वीकृत करने तथा अनुबन्ध गठन कर अनियमित भुगतान किये जाने के कारण प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री मुनिजी तिवारी, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र सम्प्रति सहायक अभियन्ता, प्रखण्ड-झांसी को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूटधाम बांदा को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जांच की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन मे तत्काल उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-172/2019/2671(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल चित्रकूटधाम बांदा **(संलग्नक सहित)**।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री मुनिजी तिवारी, तत्कालीन अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सोनभद्र सम्प्रति सहायक अभियन्ता, प्रखण्ड झांसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in